सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 3 राँची, सोमवार, 5 पौष, 1938 (श०)

26 दिसम्बर, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

13 दिसम्बर, 2016

विषय:- केन्द्र प्रायोजित "स्वच्छ भारत मिशन" (शहरी) कार्यक्रम के झारखण्ड राज्य में सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को उत्प्रेरित करने के लिए झारखण्ड शहरी स्वच्छता पुरस्कार योजना की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-SUDA/SBM/AAP/16/2015-6807(A)-- शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण तैयार करने तथा उन्हें खुले में शौच से मुक्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा "स्वच्छ भारत मिशन" नामक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गयी है, जिसके तहत वर्ष 2019 तक समस्त देश में सम्पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित है । इस प्रयोजन हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को शहरी क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

2. राज्य स्तर पर शहरी क्षेत्रों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड इस योजना के लिए नोडल विभाग नामित है ।

3. स्वच्छ भारत मिशन के अधीन प्रचार-प्रसार के माध्यम से नागरिकों में स्वच्छता संबंधी जागरूकता, जीवन शैली में बदलाव, निजी भागीदारी के माध्यम से अनुकूल वातावरण तैयार

करने, क्षमता संवर्धन एवं अन्य विशिष्ट क्षेत्रों, यथा-भंगी प्रथा का समापन, ठोस अपशिष्ट योजनाओं का व्यवस्थित कार्यान्वयन तथा मजदूर एवं प्रवासी जनसंख्या के लिए शौचालय एवं प्रत्येक हाऊस होल्ड में व्यक्तिगत शौचालय की व्यवस्था की जानी है ।

4. खुले में शौच मुक्त की परिभाषा

4.1 "ODF is the termination of faecal-oral transmission, defined by (a) no visible faeces found in the environment/village and (b) every household as well as public /community institution using safe technology option for disposal of faeces" अर्थात खुले में शौच मुक्त समुदाय का तात्पर्य वैसे समुदाय से है, जो समुदाय खुले में शौच की प्रथा से मुक्त हो तथा समुदाय के सभी परिवारों के सभी सदस्यों के द्वारा मल/अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा हो ।

4.2 साथ ही, उस वार्ड में मौजूद सभी सरकारी भवनों यथा विद्यालयों, आंगनबाडी केन्द्रों एवं सार्वजनिक स्थलों पर मानव मल के सुरक्षित निष्पादन की व्यवस्था हो एवं उसका उपयोग किया जा रहा हो तथा समुदाय का कोई भी सदस्य किसी भी परिस्थिति में खुले में शौच नहीं करता हो ।

4.3 सुरक्षित तकनीक (Safety technology) का तात्पर्य एवं व्यवस्थित उपसंरचना की इकाई से है, जो मानव मल को खुले के संपर्क से दूर रखे और समुचित रूप से ऐसा पैन जल बन्द युक्त हो ।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) कार्यक्रम के झारखण्ड राज्य में सफल कार्यान्वयन एवं इस कार्य को और गति प्रदान करने हेतु एवं निकायों के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा जागृत करने हेतु मिशन अवधि के शेष काल में ''स्वच्छ नगर पुरस्कार'' एवं ''स्वच्छ वार्ड पुरस्कार'' दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत हैः-

5.1 स्वच्छ नगर पुरस्कार - स्वच्छ नगर पुरस्कार राज्य के विभिन्न श्रेणियों के स्थानीय शहरी निकायों का निम्नांकित रूप से अनुमान्य होंगे :-

	नगर निगम	नगर परिषद्	नगर पंचायत
प्रथम पुरस्कार	2.00 करोड़ (1)	1.00 करोड़ (1)	50.00 लाख (1)
द्वितीय पुरस्कार	1.00 करोड़ (1)	50.00 लाख (1)	25.00 लाख (2)
तृतीय पुरस्कार	50.00 लाख (1)	25.00 लाख (2)	11.00 लाख (2)
सांत्वना पुरस्कार	25.00 लाख (1)	11.00 लाख (3)	05.00 लाख (3)

नोटः जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति को नगर निगम की श्रेणी में माना जाएगा । जुगसलाई नगरपालिका को नगर पंचायत की श्रेणी में समझा जाए ।

कालक्रम में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय, जो स्वच्छ सत्यापित होते हैं, को 11.00 (ग्यारह) लाख रूपये (नगर निगम श्रेणी), 7.00 (सात) लाख रूपये (नगर परिषद् श्रेणी) एवं 5.00 (पाँच) लाख रूपये (नगर पंचायत श्रेणी) की दर से उत्प्रेरणा राशि अनुमान्य होगी ।

5.2 स्वच्छ वार्ड पुरस्कार (Swatch Ward Award)- प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में अवस्थित विभिन्न वार्डो के स्वच्छता के स्तर के आलोक में निम्नांकित रूप से स्वच्छ वार्ड पुरस्कार अनुमान्य होगाः-

1	प्रथम पुरस्कार	2.00 लाख
2	द्वितीय पुरस्कार	1.50 लाख
3	तृतीय पुरस्कार	1.00 लाख
4	सांत्वना पुरस्कार (2)	0.50 लाख

कालक्रम में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के अन्य वार्ड, जो ODF सत्यापित होते हैं, उन्हें रूपये 25 हजार प्रति वार्ड की दर से उत्प्रेरणा राशि अनुमान्य होगी ।

5.3 स्वच्छ नगर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए संबंधित शहरी स्थानीय निकाय को 31 जनवरी, 2017 तक अपना दावा राज्य शहरी विकास अभिकरण में विधिवत् समर्पित करना होगा ।

5.4 स्वच्छ वार्ड पुरस्कार प्राप्त करने के लिए संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से सुपात्र वार्डो को 31 जनवरी, 2017 तक अपना दावा राज्य शहरी विकास अभिकरण में विधिवत् समर्पित करना होगा ।

5.5 पुरस्कार हेतु प्राप्त दावों को समर्पित किए जाने की तिथि के आधार पर अधिमान्यता दी जाएगी, बशर्ते ऐसे दावे पुरस्कार हेतु समस्त अहर्ता पूर्ण करते हों। पूर्ण अहर्ता के साथ विभाग में प्राप्त दावों के समपर्ण की तिथि को ही मान्यता दी जाएगी । एक ही तिथि को पुरस्कार हेतु प्राप्त दावों को जांचोपरान्त सही पाए जाने के स्थिति में अनुमान्य पुरस्कार की राशि समान रूप से ऐसे पात्र शहरी स्थानीय निकाय अथवा वार्डो के बीच वितरित कर दी जाएगी ।

5.6 यथा निर्धारित तिथि तक समुचित संख्या में स्थानीय शहरी निकायों से दावे अप्राप्त रहने की स्थिति में किसी शहरी स्थानीय निकाय अथवा वार्ड को अवशेष पुरस्कार राशि अनुमान्य नहीं होगी ।

5.7 स्वच्छ नगर पुरस्कार हेतु संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के निम्नांकित प्रतिनिधियों/ पदधारकों को उनके सम्मुख वर्णित रूप से उत्प्रेरित किया जाएगा:-

मेयर	प्रशस्ति पत्र एवं शाल
उपायुक्त	प्रशस्ति पत्र एवं शाल
उप मेयर	प्रशस्ति पत्र एवं शाल
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	प्रशस्ति पत्र एवं शाल
कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी	प्रशस्ति पत्र एवं शाल
संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के समस्त पार्षद	प्रशस्ति पत्र एवं शाल

5.8 स्वच्छ वार्ड पुरस्कार हेतु संबंधित वार्ड के निम्नांकित प्रतिनिधियों/पदधारकों का उनके सम्मुख वर्णित रूप से उत्प्रेरित किया जाएगा :

वार्ड स्वच्छता समिति के अध्यक्ष	प्रशस्ति पत्र
वार्ड स्वच्छता समिति के सभी सदस्य	प्रशस्ति पत्र
संबंधित सिटी मैनेजर	प्रशस्ति पत्र

5.9 **स्वच्छ वार्ड की घोषणा सत्यापन एवं जांच की प्रक्रिया**

स्वच्छ वार्ड पुरस्कार हेतु प्रत्येक निकाय में अवस्थित वाडों में निम्नांकित रूप से स्वच्छता आंकलन किया जाएगा :-

5.9.1 **<u>खुले में शौच मुक्त वार्ड की घोषणा (ODF declaration)</u>**

जब किसी वार्ड में लक्ष्य/सर्वे के अनुसार सभी व्यक्तिगत शौचालयों (IHHL) तथा सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (CT/PT) का निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो उस वार्ड में गठित स्वच्छता उप समिति प्रपत्र-1 के अनुरूप समूचे वार्ड का निरीक्षण करेगी तथा निरीक्षण के फलाफल प्रपत्र-1 (अनुलग्नक-1) पर संलग्न में संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को समर्पित करेगी ।

5.9.2. यह सर्वोक्षण उक्त वार्ड के संबंधित सिटी मैनेजर के नेतृत्व में सम्पादित कराया जाएगा ।

5.9.3 **<u>खुले में शौच मुक्त वार्ड का सत्यापन (ODF verification)</u>**

स्वच्छता उप समिति द्वारा **ODF verification** प्रपत्र-1 में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी जानकारी के आधार पर इस वार्ड को ODF घोषित करने में आ रही सभी कठिनाईयों को दूर करेंगे ।

5.9.4 वार्ड के **ODF verification** हेतु निम्नांकित रूप से एक वार्डवार सत्यापित समिति का गठन नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगाः-

i. संबंधित वार्ड के वार्ड कमिश्नर - अध्यक्ष।

ii. संबंधित वार्ड में कार्यरत एक SHG की अध्यक्षा - सदस्य।

iii. संबंधित वार्ड में कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्र की सेविका - सदस्य।

iv. संबंधित वार्ड में संचालित एक विद्यालय के शिक्षक - सदस्य।

v. संबंधित वार्ड के Sanitary Inspector /सुपरवाइजर - सदस्य।

vi. संबंधित वार्ड स्वच्छता उप समिति के प्रतिनिधि - सदस्य सचिव।

5.9.5 यह सत्यापन समिति प्रपत्र-1 में समर्पित आंकड़ों की जाँच करेगी । जाँच के दौरान यह समिति वार्ड में अवस्थित कुल 50% घरों में व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) सभी OD spots, सभी, CT/PT, सभी संस्थानों/महाविद्यालयों तथा सभी आंगनबाडी केन्द्रों को जाँच कर प्रपत्र-1 से प्राप्त आंकड़ों पर अपनी सहमति या असहमति प्रपत्र-2 (अनुलग्नक-2) में संसूचित करेगी ।

5.9.6 सत्यापन समिति के द्वारा 15 से 20 जनवरी, 2017 की अवधि के दौरान ODF घोषित वार्डो का सत्यापन करते हुए संबंधित नगर निकाय/ नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा, जिसके आधार पर नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा ।

5.10 स्वच्छ शहर की घोषणा, सत्यापन एवं जांच की प्रक्रिया

5.10.1 किसी भी नगर निकाय के सभी वार्डों के खुले में शौच मुक्त होने का सत्यापन किए जाने के पश्चात वहाँ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के द्वारा उस शहर को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित करते हुए उसके सत्यापन हेतु नगर निकाय में एक समिति का निम्नांकित रूप से गठन किया जाएगा :-

i. नगर निकाय के मेयर/अध्यक्ष - अध्यक्ष।
ii. नगर निगम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी - सदस्य सचिव।
iii. उपायुक्त के प्रतिनिधि, जो अनुमण्डल पदाधिकारी से अन्यून स्तर के हों - सदस्य।
iv. कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग - सदस्य।
v. जिला शिक्षा अधीक्षक - सदस्य।
vi. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी - सदस्य।

5.10.2 यह समिति प्रपत्र-1 में प्राप्त आंकड़ों की जाँच करेगी । समिति के द्वारा शहर के कम से कम 10% घरों में व्यक्तिगत शौचालयों की जाँच की जाएगी । यदि समिति आवश्यक समझे तो इस निरीक्षण कार्य हेतु अलग से उप समितियों का भी गठन कर सकती है ।

5.10.3 इसके अलावा, समिति द्वारा कुल चिन्हित खुले में शौच के स्थल के 50% अथवा 200 खुले में शौच के स्थल, जो कम हो, का भी निरीक्षण किया जाएगा । समिति द्वारा 50% विद्यालय अथवा 50 विद्यालय, जो भी कम हो, तथा 50% आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा 50 आंगनबाड़ी केन्द्र जो भी कम हो, का भी निरीक्षण किया जाएगा ।

5.10.4 निरीक्षण के पश्चात् यदि समिति खुले में शौच के स्थल की परिभाषा के अनुरूप स्थितियों को पाती है तो समिति के द्वारा पूरे निरीक्षण की कार्रवाई को लेखबद्ध करते हुए शहर को सत्यापित करेगा एवं खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाएगा तथा पुरस्कार हेतु राशि की अधियाचना राज्य शहरी विकास अभिकरण को भेजी जाएगी ।

6. पुरस्कार राशि का उपयोग

प्राप्त पुरस्कार की राशि का उपयोग संबंधित शहरी स्थानीय निकाय अथवा वार्ड में पेयजल, स्वच्छता संबंधित कार्यों के विकास, जीर्णोद्धार, इत्यादि हेतु किया जा सकेगा ताकि ऐसे निकाय/वार्ड में स्वच्छता की संस्कृति को और प्रबल बनाया जा सके ।

7. नगर विकास एवं आवास विभाग को किसी भी शहरी स्थानीय निकाय अथवा वार्ड के द्वारा किए गए स्वच्छता दावे की सम्पूर्ण जांच कराने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 3–200